



प्रेस नोट

थाना जलालपुर

दिनांक 30.04.2024

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.04.2024 को थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामऔतार पुत्र बलवान को उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जलालपुर में आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

रामऔतार पुत्र बलवान नि० ग्राम पतरिया डेरा मजरा बिलगांव जलालपुर जनपद हमीरपुर(उम्र करीब 50 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 16/2016 धारा 387/504 आई०पी०सी०
2. मु०अ०सं० 17/2016 धारा 3/25ए आर्म्स एक्ट
3. मु०अ०सं० 54/2018 धारा 13 जी एक्ट
4. मु०अ०सं० 55/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
5. मु०अ०सं० 57/2021 धारा 323/504 आई०पी०सी०
6. मु०अ०सं० 111/2018 धारा 18/20 नारकोटिक्स अधि०
7. मु०अ०सं० 112/2018 धारा 10 गुण्डा एक्ट
8. मु०अ०सं० 133/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
9. मु०अ०सं० 164/2016 धारा 376/392/452/506 आई०पी०सी०
10. मु०अ०सं० 176/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० विजय कुमार मिश्र
2. हे०का० हेमराज तिवारी
3. पीआरवी 1242 (पुलिस टीम)

